सं0/No. 4/1(1)/2002-VS(CRS-WS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
तार : जनगणना / REGGENLIND Tele-fax : 26100678 E-mail – *rgsrs@ndb.vsnl.net.in*

दिनांक
dated the March १२ , 2003

CIRCULAR No. 2/2003

Sub: Monitoring Sex Ratio at Birth – Action to be taken

The 2001 Census results have indicated that the sex ratio of children in the age group 0-6 years have deteriorated over the last decade. Apart from the deterioration in the areas where it was unfavorable to the females, more and more areas have shown sex ratios that are unfavorable to females. The major reason for this deterioration is the socio-cultural preference for the male child, which has contributed to female foeticide. The use of modern equipments for pre-natal sex determination appears to have also contributed to this process. The ban on use of such equipments for carrying out female foeticides should have a positive impact on the situation.

The country cannot wait for the next census due only in 2011 to know the impact of the measures taken to arrest the deterioration in female sex ratio. It is necessary to continuously monitor the sex ratio of the children born on a continuous and regular basis. This monitoring has to take place at national, state, district and sub-district levels so that the areas that require action can be identified. The only source for getting continuous information on sex ratio of children born is the Civil Registration System that provides for compulsory registration of all births and deaths. Though the registration may not be 100 per cent and there could be gender bias in reporting the births for registration, the sex ratio based on registered events as a time series still provides enough indications on the trends in sex ratio at birth. The medical institutions are required to report births occurring therein direct to the Registrar of Births and Deaths. It is unlikely that admissions in a hospital/maternity home for delivery of the child are influenced by the sex of the unborn, except where it has already been pre-determined. Since the registration of births occurring in medical institutions cannot suffer from sex-selective registration sex ratio of births that occur

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL,INDIA
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
(Government of India,Ministry of Home Affairs)
जीवनांक प्रभाग, वैस्ट ब्लाक-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

सं. 4/1(1)/2002 - जीवनांक (सी.आर.एस - डब्ल्यू.एस) **दिनांक :12 मार्च, 2003**

परिपत्र सं. 2/2003

विषय : जन्म के समय लिंग अनुपात की मानिटरिंग - की जाने वाली कार्यवाही ।

2001 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिंग अनुपात में काफी कमी आई है । जिन क्षेत्रों में यह कमी पहले से ही स्त्रियों के लिए प्रतिकूल थी उसके अतिरिकत बहुत से क्षेत्र स्त्रियों के लिए प्रतिकूल लिंग अनुपात को दर्शाते हैं । इस गिरावट का मुख्य कारण लड़के के लिए एक सामाजिक-सांस्कृतिक चाहत है जिसके लिए लड़की भ्रूण-हत्या होती है । इस प्रक्रिया में, प्रसव पूर्व लिंग का पता लगाने के लिए आधुनिक उपस्करों का उपयोग भी उत्तरदायी है । लड़की भ्रूण का पता लगाने वाले ऐसे उपस्करों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना भी ऐसी स्थिति के लिए एक सही कदम है ।

हमारा देश केवल स्त्रियों की संख्या के अनुपात में आई गिरावट पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों को जानने के लिए वर्ष 2011 में की जाने वाली आगामी जनगणना के लिए इंतजार नहीं कर सकता । लगातार और नियमित तौर पर पैदा होने वाले बच्चों के लिंग अनुपात को लगातार मानिटर करना जरूरी है । यह मानिटरिंग राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर की जानी है ताकि जिन क्षेत्रों में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है उनका पता लगाया जा सके । पैदा हुए बच्चों के लिंग अनुपात के बारे में निरन्तर जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सभी जन्मों और मृत्युओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है । हो सकता है कि रजिस्ट्रीकरण शत-प्रतिशत न हुआ हो और रजिस्ट्रीकरण के लिए रिपोर्ट किए गए जन्मों में लिंग भेदभाव किया गया हो फिर भी समयानुसार रजिस्टर की गई घटनाओं पर आधारित लिंग अनुपात, जन्म के समय स्त्री/पुरुष अनुपात की प्रवृतियों के बारे में काफी संकेत बताते हैं । चिकित्सा संस्थानों के लिए, वहां पर हुए जन्मों की रिपोर्ट सीधे जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रार को करनी अपेक्षित है । यह तो संभव नहीं है कि बच्चों के प्रसव के लिए एक अस्पताल/प्रसूति गृह में प्रवेश पाना अजन्में बच्चे के लिंगानुसार प्रभावित हो, केवल उसे छोड़कर जहां पर पहले से ही (लिंग) निर्धारित हो । चूंकि, चिकित्सा संस्थानों में होने वाले जन्मों के रजिस्ट्रेशन में लिंग सम्बन्धी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता अतः ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सा संस्थानों में होने वाले जन्मों का स्त्री/पुरुष अनुपात यथासंभव स्त्री/पुरुष अनुपात की वास्तविक स्थिति को दर्शाने का एक उत्तम संकेतक होगा ।

जन्म के समय स्त्री/पुरुष अनुपात को मानिटर करने की आवश्यकता पर, नई दिल्ली में 3-4 जनवरी, 2003 के दौरान आयोजित जन्मों और मृत्युओं के मुख्य रजिस्ट्रारों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई थी । यह निर्णय लिया गया था कि रजिस्टर किए गए जन्मों का स्त्री/पुरुष अनुपात जिला और उप-जिला स्तर पर

in medical institutions would be a good pointer towards capturing as real a situation of sex ratio as is possible in the given circumstances.

The need to monitor the sex ratio at birth was discussed in detail in the National Conference of the Chief Registrars of Births and Deaths held during 3-4 January, 2003 at New Delhi. It was decided that the sex ratio of registered births should be compiled every month at the district and sub-district level and provided to the district authorities – District Collector, Chief Executive Officer of Zila Parishad, District Medical and Health Officer, District Planning/Statistical Officer, etc., and the State Chief Registrar. The Chief Registrar's Office should compile this information for all districts of the State and provide it to the Chief Secretary, Secretaries in charge of Health, Family Welfare, Women & Child Development, etc and other concerned agencies including the Director Census Operations and this office. It would be useful if the figures can be accompanied by graphic representations indicating the trends and regional variations at least once in a quarter.

This decision be implemented immediately and system of collecting information on births by gender every month in the enclosed format at sub-district and higher levels may be put in place. Efforts may be made to collect the information for the months of January and February 2003 latest by 25th of March 2003. Thereafter all district Registrars may compile the information for their areas and submit it to the concerned by 15th of the succeeding month. The Chief Registrar may submit the information for the State by 20th of the month to the concerned departments and to this office under intimation to the Joint Registrar General and Director of Census Operations.

(J. K. Banthia) 17/3/03
Registrar General, India

To

All Chief Registrars of Births and Deaths (10 copies)

Copy with compliments for information to

1. Chief Secretaries of all States
2. Secretary Health and Family Welfare of all States
3. Secretary in charge of Women and Child Development of all States
4. Secretary Planning of all States
5. Joint Registrar General and Director Census Operations of all States
6. All District Magistrates
7. All Chief Executive Officers of Zila Parishads
8. All Civil Surgeons
9. All District Medical/Health Officers
10. All District Women and Child Officers
11. P.S. to RGI

प्रत्येक माह में संकलित किया जाना चाहिए और जिला प्राधिकारियों - जिला कलैक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला योजना/सांख्यिकीय अधिकारी आदि तथा राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय को इस जानकारी को राज्य के सभी जिलों के लिए संकलित करना चाहिए तथा इसे मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास आदि के प्रभारी सचिवों और इस कार्यालय के निदेशक, जनगणना कार्य सहित अन्य सम्बन्धित ऐजेन्सियों को उपलब्ध कराना चाहिए । यदि स्त्री/पुरुष अनुपात की प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय भिन्नताओं को तिमाही में कम से कम एक बार आंकड़ों के साथ-साथ ग्राफिक चित्रों में भी बनाया जाए तो यह अति उपयोगी होगा ।

इस निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना है और प्रत्येक माह संलग्न फोरमेट में लिंग के अनुसार जन्मों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की प्रणाली को उप जिला तथा उच्च स्तरों पर यथावत बनाए रखा जाए । जनवरी और फरवरी, 2003 माह के लिए जल्द से जल्द 25 मार्च, 2003 तक जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएं । तत्पश्चात सभी जिला रजिस्ट्रार अपने-अपने क्षेत्रों की जानकारी को संकलित करें और अगले माह की 15 तारीख तक सम्बन्धित अधिकारियों को इसे प्रस्तुत कर दें । मुख्य रजिस्ट्रार राज्य के लिए जानकारी सम्बन्धित विभागों और इस कार्यालय को अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत कर दें तथा इसकी सूचना संयुक्त महारजिस्ट्रार एवं निदेशक, जनगणना कार्य को भी दे दें ।

IndiaCode

12/3/03

(जयन्त कुमार बांठिया)
भारत के महारजिस्ट्रार

सेवा में

जन्मों और मृत्युओं के सभी मुख्य रजिस्ट्रार (10 प्रतियां) ।

प्रतिलिपि टिप्पणियों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव ।
2. सभी राज्यों के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
3. सभी राज्यों के प्रभारी सचिव, महिला एवं बाल विकास ।
4. सभी राज्यों के सचिव, प्लानिंग ।
5. संयुक्त महारजिस्ट्रार एवं सभी राज्यों के निदेशक, जनगणना कार्य ।
6. सभी जिला मेजिस्ट्रेट ।
7. जिला परिषदों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
8. सभी सिविल सर्जन ।
9. सभी जिला चिकित्सा/स्वास्थ्य अधिकारी ।
10. सभी जिला अधिकारी महिला एवं बाल ।
11. भारत के महारजिस्ट्रार के निजी सचिव ।